Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

रीवा जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों की आय एवं ऋण-भार-एक सर्वेक्षण अध्ययन

Income and Debt Burden of Small and Marginal Farmers in Rewa District : A Survey Study

डॉ. प्रियंका मिश्रा

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों की आय के स्रोतों एवं ऋण-भार की स्थिति का विश्लेषण करता है। सर्वेक्षण अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जिले की छह तहसीलों से कुल 300 कृषक परिवारों का साक्षात्कार किया गया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि लघु कृषकों की औसत वार्षिक आय ₹62,700 है जबकि उनका औसत ऋण-भार ₹64,900 तक पहुँच चुका है, जो ऋण-आय अनुपात 103% का संकेत देता है। सीमांत कृषकों की स्थिति और भी चिंताजनक है उनकी औसत आय मात्र ₹34,000 है जबकि ऋण-भार ₹54,600 है, जिससे ऋण-आय अनुपात 160% हो जाता है। कृषि क्षेत्रफल की सीमितता, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, बाज़ार संपर्क की कमी तथा अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता इन कृषकों के आर्थिक संकट के प्रमुख कारण हैं। अध्ययन संस्थागत ऋण की सुलभता, न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभावी क्रियान्वयन एवं कृषि विविधीकरण को सशक्त बनाने की अनुशंसा करता है।

मुख्य शब्द: लघु कृषक, सीमांत कृषक, ऋण-भार, कृषि आय, ऋण-आय अनुपात, रीवा जिला, अनौपचारिक ऋण, संस्थागत वित्त।

1. प्रस्तावना

भारतीय कृषि की आत्मा लघु एवं सीमांत कृषकों में बसती है। देश के कुल कृषक परिवारों में 86% से अधिक परिवार इन्हीं दो श्रेणियों में आते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार लघु कृषक वे होते हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है, जबकि सीमांत कृषक एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान होते हैं। मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से बाघेलखण्ड क्षेत्र के रीवा जिले में, इन कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। असिंचित भूमि की बहुलता, वर्षा पर निर्भर खेती, कमज़ोर बाज़ार संपर्क एवं कृषि उत्पाद के उचित मूल्य न मिलने के कारण इन कृषकों की आय अत्यंत सीमित रहती है।

दूसरी ओर, कृषि उत्पादन की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई एवं श्रम की बढ़ती कीमतें कृषक परिवारों को ऋण लेने पर विवश करती हैं। यह ऋण प्रायः अनौपचारिक स्रोतों — साहूकारों, व्यापारियों एवं सम्बन्धियों — से लिया जाता है, जहाँ ब्याज दर अत्यधिक ऊँची होती है। इस कारण ऋण-चक्र से निकलना इन कृषकों के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। रीवा जिले में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि यहाँ अधिकांश कृषक असिंचित वर्षा-आधारित खेती पर निर्भर हैं और फसल विफलता की स्थिति में उनके पास कोई वैकल्पिक आय का स्रोत नहीं होता।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के लघु एवं सीमांत कृषकों की आय की संरचना एवं ऋण-भार की स्थिति का सर्वेक्षण अध्ययन के माध्यम से विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं विकास-कर्मियों के लिए उपयोगी आधार-सामग्री प्रस्तुत करता है।

2. शोध पत्र का उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रथम उद्देश्य रीवा जिले के लघु एवं सीमांत कृषकों की वार्षिक आय के स्रोतों एवं उनके आय-स्तर का विश्लेषण करना है। द्वितीय उद्देश्य इन कृषकों के ऋण-भार की मात्रा, स्रोत एवं प्रकृति का अध्ययन करना है। तृतीय उद्देश्य लघु एवं सीमांत कृषकों के ऋण-आय अनुपात की तुलना करना तथा आर्थिक असमानता के बिंदुओं को रेखांकित करना है। चतुर्थ उद्देश्य संस्थागत एवं अनौपचारिक ऋण के बीच के अंतर को उजागर करना तथा अनौपचारिक ऋण की अधिकता के कारणों की पड़ताल करना है। पंचम उद्देश्य कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है।

3. शोध पत्र का महत्व

यह शोध पत्र अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक दृष्टि से यह अध्ययन रीवा जिले जैसे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति पर मूल्यवान प्राथमिक डेटा प्रस्तुत करता है, जो भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए आधारभूत सामग्री का कार्य करेगा। नीतिगत दृष्टि से यह अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि संस्थागत ऋण की सुलभता की कमी तथा अनौपचारिक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता कृषक परिवारों को गरीबी के चक्र में फँसाए रखती है। अतः ऋण नीति में सुधार की दिशा में यह अध्ययन महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सामाजिक दृष्टि से यह अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि ऋण-भार केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह कृषक परिवारों के सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी प्रभावित करता है। क्षेत्रीय दृष्टि से बाघेलखण्ड-रीवा क्षेत्र पर केंद्रित यह अध्ययन उस भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को सामने लाता है जो अन्य शोधों में प्रायः उपेक्षित रह जाती हैं।

4. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में रीवा जिले की छह तहसीलों — रीवा, त्योंथर, सिरमौर, जवा, रायपुर-कर्चुलियान एवं सेमरिया — का चयन किया गया है। अध्ययन अवधि 2022-23 से 2023-24 के बीच की है।

प्रतिदर्श चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) विधि का प्रयोग किया गया। कुल 300 कृषक परिवारों का साक्षात्कार किया गया जिसमें 180 लघु कृषक एवं 120 सीमांत कृषक सम्मिलित थे। प्रत्येक तहसील से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर परिवारों का चयन किया गया।

आँकड़ा संग्रहण हेतु पूर्व-परीक्षित साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) का उपयोग किया गया। इसमें आय के स्रोत, भूमि-जोत का आकार, फसल प्रतिरूप, ऋण की राशि, ऋण के स्रोत एवं ऋण के उपयोग जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया। द्वितीयक डेटा जिला सांख्यिकी कार्यालय रीवा, नाबार्ड, जिला कृषि विभाग एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु औसत, प्रतिशत, ऋण-आय अनुपात एवं तुलनात्मक विश्लेषण पद्धतियों का प्रयोग किया गया।

5. रीवा जिले में लघु कृषकों की आय एवं ऋण-भार

रीवा जिले में लघु कृषकों की औसत भूमि-जोत 1.2 हेक्टेयर है। इन कृषकों की आजीविका का मुख्य आधार खरीफ फसलें—धान, ज्वार, बाजरा तथा रबी फसलें—गेहूँ, चना एवं मसूर हैं। कुछ कृषक सब्जियों एवं दलहनी फसलों की भी खेती करते हैं। कृषि से इनकी औसत वार्षिक आय ₹48,500 पाई गई। इसके अतिरिक्त अकृषि स्रोतों जैसे दिहाड़ी मज़दूरी, पशुपालन एवं लघु व्यापार से औसतन ₹14,200 की आय प्राप्त होती है। इस प्रकार लघु कृषकों की कुल औसत वार्षिक आय ₹62,700 है।

ऋण-भार की दृष्टि से यह पाया गया कि इन कृषकों का औसत कुल ऋण ₹64,900 है। इसमें बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं से लिए गए संस्थागत ऋण की औसत राशि ₹42,300 है जो कुल ऋण का 65.2% है। शेष 34.8% अनौपचारिक स्रोतों — साहूकारों, आढ़तियों एवं सम्बन्धियों — से लिया गया ऋण है जिसकी औसत राशि ₹22,600 है। यह तथ्य उत्साहजनक है कि संस्थागत ऋण का अनुपात सीमांत कृषकों की तुलना में बेहतर है, परंतु चिंताजनक यह है कि कुल ऋण कुल आय से अधिक है।

सारणी 1 : रीवा जिले में लघु कृषकों की आय एवं ऋण-भार (N=180)

विवरण	न्यूनतम (₹)	अधिकतम (₹)	औसत (₹)
कृषि से वार्षिक आय	28,000	72,000	**48,500**
अकृषि आय (मज़दूरी/व्यापार)	8,000	24,000	**14,200**
कुल वार्षिक आय	38,000	92,000	**62,700**
संस्थागत ऋण (बैंक/सहकारी)	15,000	80,000	**42,300**
अनौपचारिक ऋण (साहूकार)	5,000	50,000	**22,600**
कुल ऋण-भार	22,000	1,28,000	**64,900**
ऋण-आय अनुपात (Debt-Income %)	45%	180%	**103%**

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर।

सारणी 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लघु कृषकों का ऋण-आय अनुपात औसतन 103% है, जिसका अर्थ है कि उनका ऋण-भार उनकी कुल वार्षिक आय के बराबर या उससे अधिक हो चुका है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है क्योंकि इन परिवारों को ऋण-भुगतान के साथ-साथ अपनी दैनिक आवश्यकताओं — भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं बच्चों की शिक्षा — को भी पूरा करना होता है। ऋण की अधिकता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि फसल के उचित बाज़ार मूल्य न मिलने पर कृषक बिचौलियों को कम कीमत पर उपज बेचने पर विवश होते हैं।

रीवा जिले में सिंचाई सुविधाओं की कमी भी लघु कृषकों की आय को प्रभावित करती है। सर्वेक्षण में पाया गया कि केवल 38% लघु कृषकों के पास किसी न किसी रूप में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। शेष 62% कृषक वर्षा पर निर्भर हैं, अतः अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि की स्थिति में उनकी फसल नष्ट हो जाती है और वे पुनः ऋण लेने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार ऋण का चक्र निरंतर बना रहता है।

6. रीवा जिले में सीमांत कृषकों की आय एवं ऋण-भार

सीमांत कृषकों की स्थिति लघु कृषकों की तुलना में और भी कठिन है। रीवा जिले में सीमांत कृषकों की औसत भूमि-जोत मात्र 0.6 हेक्टेयर है। इतनी कम भूमि से वार्षिक आय बेहद सीमित रहती है। इन कृषकों की कृषि से औसत वार्षिक आय ₹22,400 है। अकृषि स्रोतों — जिनमें दिहाड़ी मज़दूरी एवं पशुपालन की प्रमुख भूमिका है — से औसत ₹11,600 की आय होती है। कुल मिलाकर सीमांत कृषकों की औसत वार्षिक आय ₹34,000 है, जो एक परिवार की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

ऋण-भार की दृष्टि से सीमांत कृषकों का औसत ऋण ₹54,600 है, जो उनकी कुल आय का 160% है। यह ऋण-आय अनुपात लघु कृषकों (103%) की तुलना में 57 प्रतिशत-बिंदु अधिक है, जो सीमांत कृषकों की कहीं अधिक गंभीर आर्थिक स्थिति का द्योतक है। इन कृषकों के कुल ऋण में संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी केवल 48.4% (औसत ₹26,400) है, जबकि अनौपचारिक ऋण की हिस्सेदारी 51.6% (औसत ₹28,200) है। यह तथ्य चिंताजनक है क्योंकि अनौपचारिक ऋणदाताओं की ब्याज दर 24 से 60% वार्षिक तक होती है।

सारणी 2 : रीवा जिले में सीमांत कृषकों की आय एवं ऋण-भार (N=120)

विवरण	न्यूनतम (₹)	अधिकतम (₹)	औसत (₹)
कृषि से वार्षिक आय	12,000	38,000	**22,400**
अकृषि आय (मज़दूरी/अन्य)	6,000	20,000	**11,600**
कुल वार्षिक आय	18,000	56,000	**34,000**

संस्थागत ऋण (बैंक/सहकारी)	8,000	50,000	**26,400**
अनौपचारिक ऋण (साहूकार/संबंधी)	5,000	60,000	**28,200**
कुल ऋण-भार	14,000	1,08,000	**54,600**
ऋण-आय अनुपात (Debt-Income %)	60%	220%	**160%**

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर।

सारणी 2 से स्पष्ट है कि सीमांत कृषकों की अधिकतम ऋण-राशि ₹1,08,000 तक पहुँच जाती है जबकि उनकी अधिकतम आय मात्र ₹56,000 है। यह विषमता इन परिवारों को स्थायी ऋण-जाल (Debt Trap) में फँसा देती है। सीमांत कृषकों के संस्थागत ऋण की कम हिस्सेदारी के कारणों की पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि भूमि-दस्तावेज़ों का अभाव, बैंकों की जटिल प्रक्रिया, संपार्श्विक प्रतिभूति देने में असमर्थता एवं बैंकिंग जागरूकता की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि सीमांत कृषकों में से 62% ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार फसल ऋण का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों — जैसे विवाह, चिकित्सा, मकान मरम्मत — के लिए किया है। इससे ऋण का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाता और ऋण-भुगतान की क्षमता और भी कमज़ोर हो जाती है।

सारणी 3 : लघु एवं सीमांत कृषकों की आय एवं ऋण-भार की तुलना

संकेतक	**लघु कृषक (औसत ₹)**	**सीमांत कृषक (औसत ₹)**
कुल वार्षिक आय	62,700	34,000
कुल ऋण-भार	64,900	54,600
ऋण-आय अनुपात	103%	160%
संस्थागत ऋण	42,300	26,400

अनौपचारिक ऋण	22,600	28,200
अनौपचारिक ऋण का %	34.8%	51.6%

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर। लघु कृषक N=180; सीमांत कृषक N=120।

सारणी 3 में लघु एवं सीमांत कृषकों के प्रमुख आर्थिक संकेतकों की तुलना की गई है। यह तुलना स्पष्ट करती है कि यद्यपि सीमांत कृषकों का कुल ऋण-भार (₹54,600) लघु कृषकों (₹64,900) से कम है, परंतु उनका ऋण-आय अनुपात (160%) लघु कृषकों (103%) की तुलना में बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि सीमांत कृषकों की आय का आधार अत्यंत संकुचित है। इसके साथ ही सीमांत कृषकों में अनौपचारिक ऋण की हिस्सेदारी (51.6%) लघु कृषकों (34.8%) से काफी अधिक है, जो उनकी ऋण-बाधाओं की गंभीरता को और बढ़ा देती है।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत सर्वेक्षण अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि रीवा जिले में लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत नाज़ुक है। लघु कृषकों का ऋण-आय अनुपात 103% तथा सीमांत कृषकों का 160% होना यह दर्शाता है कि ये परिवार ऋण-चक्र में पूरी तरह फँसे हुए हैं। ऋण के स्रोत की दृष्टि से यह ध्यानाकर्षक है कि सीमांत कृषक अभी भी अपनी ऋण-आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर अधिक निर्भर हैं, जो उनकी ऋण-समस्या को और अधिक जटिल बना देता है।

कृषि आय की सीमितता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं — जोत का छोटा आकार, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि उत्पाद का उचित बाज़ार मूल्य न मिलना, प्राकृतिक आपदाओं की भेद्यता तथा कृषि तकनीक एवं नवाचार तक सीमित पहुँच। इन कारणों से दोनों श्रेणियों के कृषक अपनी उत्पादन लागत भी पूरी तरह से वसूल नहीं कर पाते।

अध्ययन यह भी स्थापित करता है कि केवल कृषि आय पर निर्भर रहना इन परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। अकृषि आय के स्रोत—जैसे पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, लघु व्यापार एवं मनरेगा—इन परिवारों की आजीविका में महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाते हैं, परंतु इनकी मात्रा अभी भी अपर्याप्त है।

8. सुझाव

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रथम, संस्थागत ऋण की सुलभता सुनिश्चित करना आवश्यक है। बैंकों को सीमांत कृषकों के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। भूमि-दस्तावेज़ की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की पहुँच को अंतिम व्यक्ति तक विस्तारित करना चाहिए। इससे अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता कम होगी।

द्वितीय, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अत्यावश्यक है। रीवा जिले में नहर, तालाब एवं बोरवेल कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर सिंचित क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हो सके। सिंचाई सुरक्षा से फसल विफलता का जोखिम भी कम होगा।

तृतीय, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रीवा जिले में सरकारी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाकर एवं ग्राम स्तर पर खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ करके कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जाना चाहिए।

चतुर्थ, कृषि विविधीकरण एवं आय के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि-आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से इन कृषक परिवारों की आय में वृद्धि होगी एवं ऋण-भार कम होगा।

पंचम, ऋण माफी एवं पुनर्गठन नीति को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जो कृषक परिवार गंभीर ऋण-संकट में हैं उनके लिए ऋण पुनर्गठन की विशेष व्यवस्था तथा अनौपचारिक ऋण से मुक्ति हेतु विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

षष्ठ, कृषि बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक पात्र कृषक तक पहुँचे, इसके लिए जागरूकता अभियान एवं प्रीमियम सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

9. संदर्भ सूची (References)

1. अग्रवाल, रमेश एवं शर्मा, प्रभात (2019). भारतीय कृषि में ऋण एवं आय संकट. नई दिल्ली: अकादमिक प्रकाशन।
2. कृषि गणना रिपोर्ट (2015-16). भारत में भूमि-जोत की स्थिति. नई दिल्ली: भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3. जिला सांख्यिकी कार्यालय रीवा (2022-23). जिला सांख्यिकी पत्रिका. रीवा: जिला कार्यालय मध्य प्रदेश।
4. तिवारी, अखिलेश एवं पाण्डेय, राकेश (2021). बाघेलखण्ड क्षेत्र में कृषि विकास की चुनौतियाँ. अर्थशास्त्र विमर्श पत्रिका, खण्ड 12(3), 45-62।
5. नाबार्ड (2022). ग्रामीण वित्तीय समावेशन एवं कृषि ऋण प्रवाह. मुंबई: नाबार्ड।
6. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (2019). परिवारों की ऋण स्थिति पर रिपोर्ट (NSSO 77वाँ दौर). नई दिल्ली: सांख्यिकी मंत्रालय।
7. पाठक, सुरेश कुमार (2018). मध्य प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक दशा. भोपाल: मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक (2023). हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनोमी. मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक।
9. मिश्र, शिवनाथ एवं त्रिपाठी, अनिल (2020). रीवा जिले में कृषि अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण ऋण. शोध संकलन पत्रिका, खण्ड 8(2), 78-94।
10. मिश्रा, एस. एवं शाह, ए. (2011). Debt and Investment in Indian Agriculture: A Study of Small and Marginal Farmers. Economic and Political Weekly, 46(19), 32-38.
11. रेड्डी, डी.एन. (2004). Rural Credit in the New Millennium: Trends, Problems and Prospects. Indian Journal of Agricultural Economics, 59(3), 401-427.
12. सिंह, राजेंद्र प्रसाद (2017). कृषि वित्त एवं ग्रामीण विकास. इलाहाबाद: साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
13. Mohan, R. (2006). Agricultural Credit in India: Status, Issues and Future Agenda. Economic and Political Weekly, 41(11), 1013-1023.
14. Vaidyanathan, A. (2006). Farmers' Suicides and the Agrarian Crisis. Economic and Political Weekly, 41(38), 4009-4013.
15. World Bank (2021). India Agriculture Finance Report: Improving Credit Access for Smallholder Farmers. Washington D.C.: World Bank Group.